

महिला सशक्तिकरण के विभिन्न आयाम

सन्ध्या राज

प्रवक्ता—अर्थशास्त्र,द्वौपदी कन्या इंटर कॉलेज,बरेली।

शोधार्थी, एम0जे0पी0आर0यू0 बरेली, उत्तर प्रदेश।

सारांश—‘महिला सशक्तिकरण’ जैसी शब्दावली में जहाँ एक ओर ‘शक्ति’ का बोध अन्तर्निहित है, वहीं दूसरी ओर इससे मानवीय गरिमा के अनुकूल महिला पुरुष समानता की वैचारिक अनुभूति की अनुगूंज भी प्रतिध्वनित होती है। यह निर्विवाद है कि समग्र मानवीय जीवन पद्धति में नारी को विधाता की सर्वोत्तम परिकल्पना माना गया है। सृष्टिक्रम में नारी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है और योगदान अपरिमित माना गया है। इतना ही नहीं नारी की स्थिति को किसी भी देश की सभ्यता और संस्कृति का मानदण्ड माना जाता है पुरुष वर्चस्व से परिपूर्ण भारतीय सामाजिक व्यवस्था में राष्ट्रीय और सामाजिक विकास में महिलाओं को बराबर का सहयोगी और सहभागी बनकर अपनी सशक्त भूमिका का निर्वाहन करना आवश्यक है। इस स्थिति में, यह अनिवार्य है कि महिलाओं और पुरुष दोनों को दुराग्रहों से मुक्त होकर सहअस्तित्व और पारस्परिक विष्वास की अनुभूति रखते हुये जीवन सरिता की मुख्यधारा के प्रवाह में सम्मिलित होकर लक्ष्य की ओर अग्रसर हुआ जाये। ऐसा किया जाना वर्तमान की महती आवश्यकता है।

की वर्ड— सशक्तिकरण, सामाजिक, समानता, आर्थिक, व्यवस्था, सहभागी।

गाँधी जी ने अपने पत्रों में महिलाओं के अधिकारों के विषय में विचार प्रकट करते हुये कहा था कि ‘महिलाओं को पुरुषों की ही तरह मुक्ति और स्वतन्त्रता का अधिकार है और ‘वे किसी भी दशा में महिलाओं के अधिकार के मामले में कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक अन्य स्थान पर महिलाओं की बराबरी पर जोर देते हुये कहा था कि, “महिलाओं को किसी भी सूरत में पुरुष की तुलना में अपने को ‘कमतर’ आंकने या उसकी अनुगामिनी या अधीनस्थ मानने की आवश्यकता नहीं है।” भारतीय मनीषियों और महापुरुषों ने महिलाओं को सदैव ही विशिष्ट स्थान प्रदान किया है। इस सन्दर्भ में स्वामी विवेकानन्द ने अपना मत प्रकट करते हुये कहा था कि, “नारी रूपी शक्ति की अवमानना करने से ही आज हमारा पतन हुआ है। स्त्रियाँ तो माता रूपी प्रतिमा हैं, जब तक उनका उद्धार नहीं होगा, हमारे देश का उद्धार होना असम्भव है।” संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष रह चुके कोफी अन्नान ने विकास प्रक्रिया में महिला

सशक्तिकरण को अत्यधिक प्रभावशाली साधन मानते हुये उन पर समुचित ध्यान दिये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है।

स्वामी विवेकानन्द ने अपने सम्बोधन में महिलाओं के सशक्तिकरण पर अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुये कहा था कि, 'कोई व्यक्ति दूसरे को सशक्त नहीं करता है, स्त्री स्वयं में सशक्त है लेकिन उसे अपनी सशक्ति का अहसास नहीं है जिस दिन उसे अपनी शक्ति का आभास हो जायेगा वही महिला का सबसे बड़ा सशक्तिकरण होगा। भारत जैसे देश में लगभग 130 बिलियन कामकाजी महिलायें हों, महिला स्वतन्त्रता तथा महिला सशक्तिकरण समय की सबसे प्रबल मांग हो जाती है। एक समाचार के अनुसार, भारत सरकार ने 20 मार्च 2001 को घोषित महिला सशक्तिकरण I की राष्ट्रीय नीति में "महिलाओं की प्रगति, विकास और सशक्तिकरण को, सुनिश्चित करने की घोषणा की थी, जिससे, वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में, गतिविधियों में खुलकर भागीदारी कर सकें।"

महिला सशक्तिकरण के संकेतक सूचक

महिला सशक्तिकरण की दिशा में किये गये कार्य किस सीमा तक प्रभावी सिद्ध हुये हैं यह जानने के लिये अति-आवश्यक है कि महिला सशक्तिकरण के वास्तविक सूचकों या संकेतकों के विषय में जानकारी हो। इन सूचकों अथवा संकेतकों की अनुपस्थिति में सरकारों द्वारा अपनायी गई नीतियों की प्रभावशीलता का पता

लगाया जा सकना सम्भव नहीं है। इन सूचकों एवं संकेतकों को अग्रलिखित छ: बिन्दुओं में विभाजित किया जा सकता है –

- (क) महिलाओं की स्वतः अनुभूति और भविष्य के प्रति समझ / दृष्टि।
- (ख) महिलाओं की गतिशीलता एवं दृष्टिता।
- (ग) महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा।
- (घ) घर तथा परिवार में महिला का स्थान और निर्णय लेने की शक्ति।
- (ङ.) घर से बाहरी क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण रूप में बातचीत कर सकने की क्षमता।
- (च) गैर-परिवार या अनजान समूहों में भागीदारी।

उपरोक्त सभी सूचकों की बिन्दुवार व्याख्या की जा सकती है –

(क) महिलाओं की स्वतः अनुभूति और भविष्य के प्रति सोच, समझ एवं दृष्टि

यह इस बात से स्पष्ट होती है कि महिलायें भविष्य के प्रति क्या योजनायें बनाती हैं या भविष्य के प्रति उनके द्वारा उठाये जाने वाले कदम कौन से हैं? उनकी परिस्थितियों से जूझने की सामर्थ्य ने शारीरिक हिंसा के प्रति धमकियों से उन्हें कितना छुटकारा दिलाया है? अपनी समस्याओं के प्रति वे स्वयं कितनी

जागरुक है और समाधान के क्या विकल्प खोजती हैं? अपनी व परिवार की सुरक्षा के प्रति वे कितनी सजग हैं?

(ख) महिलाओं की गतिशीलता एवं दृश्यता

हमारे लिये ये जानना अत्यधिक आवश्यक है कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलायें स्वयं को कितना सुरक्षित अनुभव करती हैं और क्या यौन उत्पीड़न में कभी का अनुभव करती हैं? घर के बाहरी गतिविधियों में अपना पक्ष मजबूती से रख पाती हैं या नहीं।

(ग) महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा सम्बन्धी आधार

महिलाओं को सम्पत्ति पर स्वामित्व प्राप्त है अथवा नहीं। यह भी कि क्या उनके ज्ञान और आय स्तर में वृद्धि हुई है। नवीन क्षमताओं को प्राप्त करने के लिए वे कितनी उत्कण्ठित हैं। क्या वे सिर्फ घरेलू कार्यों में ही प्रवीण हैं अथवा नवीन कार्यों में भी हाथ आजमा रहीं हैं।

(घ) घर तथा परिवार में महिला का स्थान एवं निर्णय लेने की शक्ति

महिलायें कितनी आत्मविश्वासी हैं तथा पैसा व्यय करने के विषय में क्या वे स्वतन्त्र निर्णय ले सकती हैं और वे इस पर कितना नियन्त्रण रख पाती हैं। यह भी कि दूसरों के अधिकार क्षेत्र में नहीं आने वाले साधनों के स्वामित्व, वितरण और उपयोग के प्रति स्वतन्त्र निर्णय लिये जाने की महिलाओं की क्षमता में परिवर्तन आया है या नहीं।

(ङ) घर से बाहरी क्षेत्रों में प्रभावपूर्ण रूप में बातचीत कर सकने की क्षमता का विकास

अपने स्वयं के लिए उपलब्ध सेवाओं का उन्हें भान है भी अथवा नहीं। साथ ही, कानूनी रूप से स्वयं की सुदृढ़ स्थिति के प्रति क्या वे जागरुक हैं? सामाजिक सेवाओं को प्राप्त करने में महिलायें कितनी सशक्त हैं। राजनीति में अपनी महत्ता के बारे में वे क्या सोचती हैं। क्या महिलायें ऋण कार्यक्रमों में भाग लेती हैं या नहीं? सामुदायिक सेवाओं को उपलब्ध कराये जाने के विषय में उनका कितना योगदान है?

(च) परिवार से बाहर या अनजान व्यक्ति समूहों में महिलाओं की भागीदारी का स्तर

परिवार के दायरे में कैद अथवा तुलनात्मक स्वतन्त्रता प्राप्त महिलाओं की अन्य महिलाओं के साथ एकजुटता की भावना प्रदर्शित करते हुये आवश्यक संगठनों के निर्माण, अपनी समस्याओं के प्रति स्पष्ट सूझबूझ एवं मझ और इनके समाधान की प्रवृत्ति हेतु तत्परता एवं आग्रहयुक्त होने का स्तर कैसा है? यह भी कि वे ऐसे स्वायत्त शक्ति प्राप्त संगठनों के, जिनमें दूसरों का हस्तक्षेप नहीं है, द्वारा किये जाने वाले कार्यों में कितनी भागीदारी निभा पाती है? सामान्य विकास प्रक्रिया के सन्दर्भ में विचार करने पर यह विदित होता है कि, “सशक्तिकरण कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो जनसाधारण को कहीं से उठा कर दे दी जाये। सशक्तिकरण की

प्रक्रिया एक ओर व्यक्तिगत भी है, तो दूसरी ओर सामूहिक भी है।" विकास प्रक्रिया के संदर्भ में सशक्तिकरण जैसे शब्द के प्रयोग का अर्थ 'गरीब' एवं 'अभिवंचित' वर्ग द्वारा स्वतः प्रयासों से अपने को सषक्त करना है। "सशक्तिकरण की प्रक्रिया तो वास्तव में सहभागिता पर आधारित होती है।" सामान्य सत्य यह है कि व्यक्ति के समूह से जुड़ाव के कारण उनकी जानकारी एवं ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि होती जाती है और अपने को संगठित करते हुये जीवन स्तर में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने की क्षमता भी जाग्रत होती है।

'सशक्तिकरण' की भावना गरीबों और असमर्थ लोगों में उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विषयों पर स्वतन्त्र रूप से निर्णय लेने की शक्ति का संचार करती है। सैद्धान्तिक दृष्टिकोण से, इस विषय-वस्तु पर विचार करने से अपने स्वयं के विकास एवं स्वयं को सषक्त किये जाने की दिशा में 'सहभागिता' का सिद्धान्त अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होता है। अंग्रेज दार्शनिक-विचारक एवं अर्थशास्त्री राबर्ट ओवन द्वारा प्रस्तुत 'वातावरण सम्बन्धी सिद्धान्त' इस बात की व्याख्या करते हुये स्पष्टतया यह प्रतिपादित करता है कि, 'जन्म से कोई 'अच्छा अथवा बुरा' नहीं होता वरन्, वातावरण ही उसे अच्छा अथवा बुरा बना देता है।' अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ राबर्ट ओवन कहता है कि, "इसलिये वातावरण को बदल डालो, मनुष्य स्वयं बदल जायेगा।"

स्पष्टतया वातावरण को सकारात्मक बनाया जाना अत्यधिक महत्वपूर्ण है और ऐसा किया जा सकना सहभागिता के आधार पर ही संभव है। यदि महिलायें और यदि उनके अपने संगठनों में पुरुष वर्ग भी सहभागिता निभाने के लिए उद्यत हों, तब, उनका स्वागत करते हुये महिलाओं को सम्मिलित रूप में सामूहिक शक्ति का परिचय देते हुये सहभागिता को आधार बनाकर अपने सशक्तिकरण हेतु आगे बढ़ जाने की महती आवश्यकता है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

- | | |
|--------------------------|--|
| 1.डॉ. नीलम | — कल्याण परिवर्तमन |
| 2.विष्णु गुप्ता एवं नागर | — आर्थिक विकास के सिद्धान्त |
| 3.सी0पी0अग्रवाल | — कास्ट रिलीजन एण्ड पावर |
| 4.प्रमिला कपूर | — कामकाजी भारतीय नारी, राजपाल प्रकाशन नई दिल्ली |
| 5.इरावती कार्वे | — हिन्दू समाज और जाति व्यवस्था |
| 6.देवकी जैन | — इण्डियन विमेन, गवर्नमेण्ट ऑफ इण्डिया नई दिल्ली |
| 7.मोजमिल हुसैन | — भारतीय महिला एवं आधुनिकता |
| 8.खन्डेला भान चन्द | — आधुनिकता और महिला उत्पीड़न |